राजस्थान सरकार
निदेशालय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकः–सामा./आर.एच./08/ दिंनाकः

समस्त सयुंक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन ,
राजस्थान।

विषयः– शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत साप्ताहिक रिर्पोट प्रपत्र में भिजवाने के क्रम में।
सन्दर्भः– निदेशालय के पत्र क0 सामान्य/आरएच/10/200 दिनांक 22.11.10

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के पत्र क0 सामान्य/आरएच/10/200 दिनांक 22.11.10 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया है कि शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत दैनिक/साप्ताहिक रिर्पोट ए.एन.एम./चिकित्सा अधिकारी की पृथक–पृथक आपके अधीनस्थ मु0 चि0 एवं स्वा0 अधि0 से प्राप्त कर संकलन कर निदेशालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम ए.एन.एम. द्वारा दिनांक 12.1.11 से प्रारम्भ हो जाने के उपरान्त एवं दुरभाष द्वारा सम्पर्क करने के उपरान्त भी आपके द्वारा साप्ताहिक रिर्पोट प्रपत्र 2 में नहीं भिजवाई जा रही है। अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि आपके अधीनस्थ मु0 चि0 एवं स्वा0 अधि0 से रिर्पोट प्राप्त कर संकलन कर तुरन्त निदेशालय के फैक्स न0 0141–2224831 / अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वा0) के e-mail Address पर में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। ताकि राज्य सरकार को अवगत करवाया जा सके।

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकः–सामा./आर.एच./08/ 6 दिंनाकः 28-1-11
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,राज0, जयपुर।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है, निदेशालय के पत्र सामान्य/आरएच/10/200 दिनांक 22.11.10 के द्वारा जारी साप्ताहिक रिर्पोट दिये गये प्रपत्र में सूचना तैयार कर सयुक्त निदेशक, जोन को भिजवाते हुऐ, निदेशालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी सर्वर रूम ,मुख्यालय को नेट पर डालने हेतु।
4. कार्यालय प्रति।

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान,जयपुर।